

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-1) विभाग

क्रमांक प. 11(1)गृह-1/2012

जयपुर, दिनांक 26.09.2019

आदेश:-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.09.2017 में आंशिक संशोधन कर राजस्थान पुलिस सेवा नियम 1954 के नियम-6 के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस सेवा के हायर सुपरटाईम स्केल एवं सुपरटाईम स्केल के पदों का दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2021 तक अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक के लिए निम्नानुसार एतद् द्वारा निर्धारण किया जाता है:-

01	हायर सुपरटाईम स्केल (पीबी-4 रूपये 37400-67000 जीपी-9500)	04
02	सुपरटाईम स्केल (पीबी-4 रूपये 37400-67000 जीपी-8700)	100

यह आज्ञा वित्त (व्यय-4) विभाग से उनकी आई.डी. संख्या 101904100 दिनांक 25.09.2019 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की गई।


राज्यपाल की आज्ञा से,

६०

(रामनिवास मेहता)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
- 1 सचिव, मा० राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
 - 2 प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
 - 3 वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
 - 4 निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव,
 - 5 गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
 - 6 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
 - 7 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-4/नियम/मार्गोपाय) विभाग।
 - 8 महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
 - 9 महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
 - 10 लेखाधिकारी, गृह (गुप-2) विभाग।
 - 11 प्रोग्रामर, गृह (गुप-6) विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
 - 12 रक्षित पत्रावली।


26/9/19.

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस